NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 75 /NCRES/20

Date : 28.04.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– सन् 2017 व सन् 2018 के ड्यू पोशाक भत्ते का भुगतान किया जाना।

संदर्भ :– NCRES पी.एन.एम. मद संख्यां 10/5/2018

महोदय,

अवगत कराना है कि 4/5 जुलाई 2018 की पी.एन.एम. बैठक में PCPO, PCMM और PFA की उपस्थिति में लम्बी चर्चा के बाद और PCMM श्री राम लाल जी के कहने के बाद कि VII CPC की रिपोर्ट आने के बाद सन् 2017 के यूनिफार्म का Procurtement नही हुआ है। इसके बाद PCPO ने PFA से चर्चा करने के बाद मद संख्या 10/5/2018 पर कहा कि 2017 से पोशाक भत्ते का भुगतान किया जायेगा। इसके बाद PNM के जारी मिनट्स दिनांक 19.07.2018 के अनुसार झांसी और आगरा मंडल ने पोशाक भत्ते का भुगतान करना शुरू कर दिया लेकिन प्रयागराज मंडल ने भुगतान नही किया।

दिनांक 4/5 जुलाई 2018 के PNM बैठक के मिनट्स दिनांक 19.07.2018 को जारी होने के बाद भी प्रयागराज मंडल द्वारा ड्रेस अलाउन्स का भुगतान न करने पर NCRES ने प्रधान कार्यालय से पुनः दिनांक 12.10.2018 को आदेश जारी कराया (संलग्न) कि सन् 2017 से ड्यू पोशाक भत्ते का भुगतान किया जाय। इसके बाद प्रयागराज मंडल द्वारा एक वर्ष के पोशाक भत्ते का भुगतान किया गया और एक वर्ष के पोशाक भत्ते का भुगतान करने से इन्कार कर दिया गया जिसका प्रभाव झांसी और आगरा मण्डल पर भी पड़ा, इसी कारण झांसी और आगरा मण्डल के कुछ कर्मचारियों को एक वर्ष (सन् 2018) का ड्यू पोशाक भत्ता नही मिल पाया।

यह भी अवगत कराना है कि Sr.DMM/ALD के पत्र दिनांक 20.06.2018 (संलग्न) में दर्ज ''यूनिफार्म जुलाई 2017 के पूर्ववर्ती अवधि के लिये शाखाओं द्वारा भेजे गये मांगपत्रो के अनुरूप प्राप्त हुये है'' से स्पष्ट है कि सन् 2017 की वर्दी नही मंगाई गई है। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने 15.2.2018 (संलग्न) को पत्र जारी कर कहा है कि अगर कोई समस्या है तो पी.एफ.ए. और जी.एम. के पर्सनल अप्रूवल से प्रपोजल बना कर रेलवे बोर्ड भेजा जाय।

NCRES को स्पष्ट करना है कि दिनांक 23/24 जनवरी 2019 के PNM बैठक में NCRES ने पुनः इस मुद्दे को उठाया तो PCPO ने PCMM से वार्ता करने के बाद पुनः प्रयागराज मंडल को निर्देश दिया कि सन् 2017 से पोशाक भत्ते का भुगतान किया जाय लेकिन सन् 2017 और सन् 2018 में से एक वर्ष के पोशाक भत्ते का भुगतान आज तक नही हुआ।

अतः अनुरोध है कि RBE No. 141/2017 व NCRES के पी.एन.एम. मद संख्या 10/5/2018 पर हुये निर्णय के अनुसार जारी आदेश दिनांक 12.10.2018 के अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के सभी पात्र कर्मचारियों को सन् 2017 और 2018 (दोनो वर्ष) के पोशाक भत्ते का भुगतान करने के लिये उचित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्न : (1) प्रधान कार्यालय का पत्र दिनांक 12.10.2018
(2) Sr. DMM/ALD का पत्र दिनांक 20.6.2018
(3) रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 15.2.2018

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

23/10

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद

पत्रांकः797--ई / एनसीआर / पेबिल्स / पोशाक भत्ता

दिनांकः 12.10.2018

मंडल रेल प्रबन्धक / कार्मिक
उत्तर मध्य रेलवे,
इलाहाबाद, झांसी एवं आगरा।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
उत्तर मध्य रेलवे,
झांसी एवं सिथौली।

विषयः नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कर्मचारियों को 01.07.2017 को ड्यू पोशाक भत्ता के सम्बन्ध में।

संदर्भः दिनांक 04 एवं 05 जुलाई, 2018 को सम्पन्न एनसीआरईएस के मद संख्या 10/2018 के पीएनएम निर्णय के सम्बन्ध में।

उक्त संदर्भ में यह सूचित करना है कि रेलवे बोर्ड के आदेश आरबीई 141/2017 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को जुलाई 2017 से ड्यू वर्दी एलाउंस का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जाय एवं कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराएं।

12.X.18

(वी.पी. सिंह)
वरि. कार्मिक अधिकारी / मुख्या.
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

प्रतिलिपिः1. महामंत्री, एनसीआरईएस, 464-बी, नवाब युसुफ रोड, इलाहाबाद।
2. महामंत्री, एनसीआरएमयू, बाल्मीकि चौराहा, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।

23/10/18

उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं0 – एस0डी0एम0एम0/यूनीफार्म/18
दिनांक – 20/06/2018

भण्डार शाखा
मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय
उ0म0रे0/इलाहाबाद

Sr.DEN/Co./ALD,Sr.DCM/ALD,Sr.DOM/ALD,
Sr.DEE/OP/ALD,Sr.DME/O&F/ALD,
Sr.DME/C&W/ALD, Sr.DSTE/Co./ALD,
Sr.DEE/Chg./ALD, Sr.DEE/G/ALD,
Sr.DEE/RS/CNB, CMS/ALD, Sr.DPO/ALD

विषय – यूनीफार्म (uniform) मदों के वितरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – पत्र सं0 – एस/एस0डी0एम0एम0 /यूनीफार्म/17 दिनांक– 27.12.17,03.01.18 ,12.01.18, 12.02.18, 28.02.18, 04.06.18

भण्डार डिपो में मण्डल के विभिन्न विभागो द्वारा दिये गये Winter 2016–2017 एवं Summer 2017 के लिए माँगे गये माँगपत्रों के अनुसार यूनीफार्म प्राप्त हो चुकी है। इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के द्वारा यूनीफार्म मदों को इश्यू कराने के लिए आग्रह किया गया था, लेकिन Consignee द्वारा यूनीफार्म इश्यू नहीं कराया जा रहा है। वर्तमान में निम्नलिखित मात्राए (शाखा वार) इश्यू हेतु लंबित है , जिसे शीघ्रतापूर्वक इश्यू कराना अपेक्षित है।

शाखा	मात्रा(Nos.)
Sr.DEN/Co./ALD	31130
Sr.DCM/ALD	18241
Sr.DOM/ALD	14632
Sr.DEE/OP/ALD	4459
Sr.DME/O&F/ALD	2867
Sr.DME/C&W/ALD	855
Sr.DSTE/Co./ALD	393
Sr.DEE/Chg./ALD	1096
Sr.DEE/G/ALD	21
Sr.DEE/RS/CNB	191
CMS/ALD	791
Sr.DPO/ALD	89

विदित हो कि रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 – PC-VII/2017/I/7/5/7 dtd. 03/10/17 के अनुसार 01.07 2017 से संबन्धित कर्मचारियों को यूनीफार्म भत्ता देय होगा। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त लम्बित यूनीफार्म मद, जुलाई –2017 के पूर्ववर्ती अवधि के लिए शाखाओं द्वारा भेजे गये माँगपत्रों के अनुरूप प्राप्त हुए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपनी शाखा से सम्बन्धित कर्मचारी को नामित करके लम्बित मात्रा को पूर्ण रूप से इश्यू करवाने का कष्ट करें, जिससे अनावश्यक Inventory Blocking से बचा जा सके।

21.06.18

वरिष्ठ मण्डल सामग्री प्रबन्धक
उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद

प्रतिलिपि :–अपर मण्डल रेल प्रबन्धक/सामान्य/इला0– सादर सूचनार्थ ।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

F. No. PC-VII/2018/I/7/5/1 **New Delhi, dated : 15.02.2018**

The General Managers
All Indian Railways & PUs
(as per standard mailing list)

Sub : Implementation of the recommendations of the Seventh Central Pay Commission on Dress Allowance.

Vide Board's letter F. No. PC-VII/2017/I/7/5/7 dated 03.10.2017 circulated as RBE No. 141/2017, Government's decision on payment of Dress Allowance at specified rates annually to eligible categories of employees, was notified. It was mentioned in the circular that this Dress Allowance would be in lieu of basic uniform and uniform-related allowances hitherto supplied/paid to Railway employees. The orders were specifically mentioned as taking effect from 01.07.2017.

2. Two Railways (WCR and SECR) have now raised queries on whether Uniform stock already finalised/under finalisation for procurement in some categories should lead to non-payment of the Dress Allowance due from July, 2017. In this context, it is pointed out that the 7th CPC recommendations on Dress Allowance (Chapter 8.16 of the 7th CPC Report) did not comment on liquidation of uniform stock procured/under procurement prior to payment of Dress Allowance to eligible categories of employees. The Ministry of Finance's OM dated 02.08.2017 that notified implementation of this accepted recommendation also did not have any caveat on Dress Allowance not having to be paid with effect from July, 2017 to cater to procurement processes of uniforms already initiated as on the date of notification of the said OM. Accordingly, RBE No. 141/2017 also did not specify any such caveat while notifying the date of effect of the orders as 01.07.2017.

3. If any Railway/PU is unable to make payment of Dress Allowance in terms of RBE No. 141/2017 and desires a review of existing instructions on the matter, it may send a comprehensive proposal in this regard with the concurrence of PFA and approval of the GM, to enable the matter to be put up to Board.

(S. Balachandra Iyer)
Executive Director/PC-II
Railway Board